

## राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

### क. राजकोषीय नीति की समीक्षा

1. अंतरिम बजट 2014-15 पांच प्रतिशत से कम विकास दर की पृष्ठभूमि के विपरीत प्रस्तुत किया गया था। प्रचलित आर्थिक परिस्थितियां बृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई थीं और राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण अंतरिम बजट 2014-15 के साथ प्रस्तुत किया गया था। चूंकि विवरणों के अंतर्गत अवधारणायें सीएसओ द्वारा स.घ.उ. वृद्धि पर अग्रिम अनुमानों के निर्गमन द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। इनमें 2012-13 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले, 2013-14 में बढ़कर स.घ.उ. का 4.7 प्रतिशत होने से मामूली सुधार हुआ था। अनंतिम खाते राजकोषीय घाटे अनुमानों से अधिक महत्वपूर्ण रूप से सुधार दर्शाते हैं, जो ब.अ. में 4.8 प्रतिशत और सं.अ. में 4.6 प्रतिशत के मुकाबले 4.5 प्रतिशत है।

2. यह संकेत दिया गया है कि लगातार दो वर्षों के लिए सरकारी वित्त साधनों की स्थिति में सुधार, प्राप्ति पक्ष और व्यय पक्ष दोनों में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हासिल किया गया था। घरेलू बाजारों में नकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण के चलते और विदेशी बाजार में जटिल आर्थिक स्थिति के प्रचलन के कारण, कर प्राप्तियों के साथ-साथ सब्सिडियों पर व्यय पर भी दबाव था। तथापि, सरकार ने राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुपालन दृढ़ निश्चय के साथ किया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में सुधार हुआ। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के लागू होने के तुरन्त पश्चात वित्त वर्ष 2004-05 से 2007-08 में हासिल किया गया राजकोषीय समेकन अधिकांशतः सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में कर, राजस्वों में वृद्धि के कारण था। तथापि, स.घ.उ. अनुपात में कर, जो वित्त वर्ष 2007-08 में 11.9 प्रतिशत की ऊँचाईयों पर था, वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप प्रेरणादायी पैकेज का अनुसरण करते हुए गिर गया। राजकोषीय समेकन का मौजूदा चरण वृद्धि में गिरावट की पृष्ठभूमि के विपरीत कार्यान्वित किया गया था। कर राजस्व समेकन के दोनों वर्षों में लक्षित स्तरों तक नहीं पहुंचाये जा सके। आगे चलकर, समेकन संसाधनों के बृहतर संग्रहण तथा व्यय के यौक्तिकीकरण के माध्यम से हासिल करना है।

3. पूंजीगत राजस्व विखंडन सरकारी व्यय का एक चिंताजनक विषय रहा है। साम्यपूर्ण वृद्धि के मुद्दे सामाजिक और कल्याणकारी क्षेत्र पर व्यय की मांग करते हैं, जबकि वृद्धि सूचकों को सरकार द्वारा उच्चतर पूंजी व्यय की अपेक्षा होती है। राजकोषीय समेकन के लक्ष्य दोनों मांगों के बीच संतुलन को अनिवार्य बनाकर उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को सीमित कर देते हैं। मध्यावधि के मुकाबले, राजकोषीय रोडमैप द्वारा लगाये गए राजकोषीय संकुचन उपलब्ध संसाधनों के अनुप्रयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। सरकारी व्यय का विश्लेषण बाद वाले खण्ड में दिया गया है। संसाधन संग्रहण पक्ष में दूसरी रोचक विशेषता कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि रही

है। 2013-14 में कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि हाल के वर्षों में तीव्रतम रही है और अब यह परिमाणों में बढ़कर अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के समकक्ष होनी है।

4. 2014-15 में कर-भिन्न पक्ष में संसाधन संग्रहण बिना पहुंच वाले संसाधनों को खोल देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का परिणाम रहा है। सरकार ने विधान और कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संसदीय विनियोग मांगने के पश्चात विभिन्न निर्धारित निधियों के तहत शेषों का सृजन किया था। इन निर्धारित निधियों के तहत शेषों के विश्लेषण ने प्रकटन किया कि ऐसी निधियों के अंतर्गत पर्याप्त शेष हैं, जो सरकार की कल्याणकारी और विकास गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रयोग नहीं किये जा रहे हैं। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि निधियों में व्याप्त प्रयोग न की गई धनराशियां उस प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाएगी जिसके लिए प्रथमदृष्टया इनको निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, केंद्रीय सड़क निधि, प्रारंभिक शिक्षा कोष, सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि और गारंटी मोचन निधि आदि जैसी विभिन्न निधियों में व्याप्त प्रयोग न की गई 12,252 करोड़ रुपये की धनराशि संबंधित विधान अथवा सरकारी निर्णय में दी गई गतिविधियों का वित्तपोषण करने के लिए बजट में पुनर्नियोजित की गई है। बृहतर विधायी जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए, भारत की समेकित निधि के जरिए लेनदेन किया जा रहा है।

5. वृद्धि को प्रोत्साहन देने के अलावा मुद्रास्फीति कम करने के लिए राजकोषीय समेकन का सूचक अच्छी तरह से मूल्यांकित किया गया है। यह आम धारणा है कि राजकोषीय घाटे के सतत उच्च स्तर बृहद आर्थिक असंतुलनों के विविध रूपों में परिणामी होता है और इसमें शीघ्र सुधार उपाय करने की आवश्यकता है। उच्च राजकोषीय घाटा उच्च मुद्रास्फीति की ओर प्रवृत्त होता है, मौद्रिक नीति कार्रवाईयों के लिए गुंजाइश कम करता है, और निजी निवेशों को अवमन्द करता है। लगातार दो वर्षों में 5 प्रतिशत से कम के स्तर से स.घ.उ. वृद्धि में सामान्य सुधार हाल के समय में कठिन स्फीतिकारी चरणों में से एक है, विशेषतः खुदरा क्षेत्र में मुद्रास्फीति कठोर रही है। इसके कारण दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। कठोर मुद्रास्फीति सहित कम होती वृद्धि ने अत्यन्त कठिन बृहद-आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित किया जिससे राजकोषीय और मौद्रिक नीति से समन्वित अनुक्रिया आवश्यक हो गई है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करना अनिवार्य हो गया था ताकि निवेश चक्र और वृद्धि के पुनरुद्धार हेतु मौद्रिक नीति को सुखद बनाने के लिए आवश्यक गुंजाइश उपलब्ध कराई जा सके। राजकोषीय सुधार की सख्त आवश्यकता थी ताकि मुद्रास्फीति के मुद्दों को संतुलित करके वृद्धि हेतु बहु आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान

करने के लिए मौद्रिक नीति हेतु गुंजाइश उपलब्ध कराई जा सके। मौद्रिक नीति कार्रवाई का अनुसरण करने के लिए नींव डाल दी गई है।

6. मुख्य बजट में, सरकार ने 2012-13 में घोषित किये गए राजकोषीय समेकन पर बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि की है। राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट स्तर पर बनाये रखा गया है, जबकि सरकार की सामाजिक और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इसके उद्देश्य के सामंजस्य में अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की गई है और विकास एजेंडा पर ध्यान केंद्रित रखा है। तीव्र वृद्धि हेतु बहु आवश्यक विकासात्मक व्यय की व्यवस्था करके नियमित व्यय को सीमित करने का प्रयास किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विकासात्मक लक्ष्यों में परिवर्तनों के बावजूद, सरकार राजकोषीय समेकन के पथ पर बनी हुई है। राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता मध्यावधि रूपरेखा के मुकाबले राजकोषीय नीति की नींव भी रखती है।

### ख. 2014-15 के लिए राजकोषीय नीति

7. आम बजट 2014-15 पिछले दो वित्तीय वर्षों में 5 प्रतिशत से कम की विकास दर की पृष्ठभूमि के विपरीत प्रस्तुत किया जा रहा है। तथापि, पुनरुद्धार के प्रारंभिक संकेत हैं। 2012-13 में विकास दर ने 4.5 प्रतिशत से बाहर आकर, 2013-14 में 4.7 प्रतिशत पर आंशिक सुधार दर्ज कराया है। इस वित्त वर्ष में आगे और सुधार की आशा है। विभिन्न अनुमान वृद्धि का 5.5 से 6 प्रतिशत के बीच रहना अनुमानित करते हैं। सरकार ने अंतरिम बजट का 4.1 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य आम बजट में बनाये रखा है। विकास के लिए सामाजिक और कल्याणकारी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उच्चतर आबंटन का प्रावधान किया गया है। राजकोषीय और चालू खाता, दोनों घाटों को कम करने के बाद, मुद्रास्फीति पर निगरानी रखकर, चुनौतियां वृद्धि के पुनरुद्धार की है। इस प्रकार, आम बजट में राजकोषीय नीति की महत्वकांक्षा का मार्गदर्शन प्रतिफल की समकक्ष साझेदारी पर बल देते हुए अर्थव्यवस्था का उच्चतर वृद्धि के स्पष्ट मार्ग पर लाने की आवश्यकता द्वारा किया जाता है। बढ़ती रोजगार मांग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर रोजगार-क्षमता और कौशल उन्नयन के लिए क्षमता वाले संवर्द्धक क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाता है। बाजार रुझानों के पुनरुद्धार से यह आशा है कि नीति पर सकारात्मक और सक्रियात्मक कार्रवाई वर्तमान वित्त वर्ष में वृद्धि की संभावनाओं को उछाल देगी।

8. 2014-15 की राजकोषीय नीति दोहरे उद्देश्यों के साथ तैयार की गई है - पहला, वृद्धि पुनरुद्धार में अर्थव्यवस्था की सहायता करना, और दूसरा, राजकोषीय घाटे के नियंत्रण द्वारा राजकोषीय समेकन के पथ पर बने रहना है ताकि जैसे ही निवेश चक्र में तेजी आये निजी क्षेत्र ऋण के लिए गुंजाइश बनी रहे। पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय को वहनीय सीमाओं में बनाये रखने के बाद, बजट 2014-15 वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजटीय अनुमानों के मुकाबले आयोजना व्यय में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 2013-14 में वास्तविक व्यय के मुकाबले, इस आबंटन में 26.9

प्रतिशत की वृद्धि की गई है और आशा है कि यह विकासात्मक अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करेगी। रक्षा, सब्सिडियों, ब्याज भुगतानों, वित्त आयोग अनुदानों की आवश्यकताओं और वेतन तथा पेंशन भुगतान आदि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2013-14 के मुकाबले ब.अ. 2014-15 में आयोजना-भिन्न व्यय में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके परिणामस्वरूप अनंतिम वास्तविक आंकड़े 2013-14 की तुलना में ब.अ. 2014-15 में समग्र व्यय में 14.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। इन उपायों के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन के लिए रोडमैप में तय लक्ष्य के मुकाबले सुधार दिखाते हुए, राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत तक गिरना अनुमानित है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, कुल व्यय 2013-14 में 13.8 प्रतिशत के मुकाबले ब.अ. 2014-15 में 13.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

9. व्यय में वृद्धि को नियंत्रित करने के अलावा, राजकोषीय घाटे में कमी कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, दोनों से लक्षित राजस्व संवर्द्धन हासिल करके तय की जानी है। स.घ.उ. अनुपात के रूप में कर ब.अ. 2013-14 में स.घ.उ. का 10.9 प्रतिशत रहने का अनुमान था जो आर्थिक वृद्धि में गिरावट के चलते, 2013-14 में अनंतिम खातों के अनुसार स.घ.उ. का 10.0 प्रतिशत रहे। तथापि, वित्त वर्ष 2014-15 में संभावित स.घ.उ. विकास की पुनर्बहाली से बजट अनुमान 2014-15 में स.घ.उ. के अनुपात में कर 10.6 प्रतिशत लक्षित है। इसका निहितार्थ है कि 2013-14 में वास्तविक विकास के मुकाबले 19.8 प्रतिशत विकास हुआ। तथापि, वित्त वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान की तुलना में विकास केवल 10.4 प्रतिशत है। विगत कुछ वर्षों में स.घ.उ. विकास में नरमी आने के कारण बजट व्यवस्था से कम निष्पादन हुआ। यह आशा की जाती है कि 6 प्रतिशत के स्तर से ऊपर अर्थव्यवस्था के विकास की पुनर्बहाली होने पर मौजूदा कर प्रावधान से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष सेवा कर, निगम और अधिभार संबंधी किए गए अतिरिक्त उपाय 2014-15 में भी जारी रहेंगे। 2013-14 में वास्तविक विकास की तुलना में बजट अनुमान 2014-15 में कर-भिन्न राजस्व के लिए 6.7 प्रतिशत विकास की व्यवस्था की गई है। तथापि, ब.अ. 2014-15 की तुलना में 23.4 प्रतिशत का स्थायी विकास हुआ है। यह इसलिए संभव हुआ कि विभिन्न निधियों में पड़े संसाधनों को उपयोग में लाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च लाभांश का भुगतान किया गया और स्पेक्ट्रम प्रभारों के अनुमानों में वृद्धि हुई, जैसाकि मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में वर्णन किया गया है।

10. व्यय मोर्चे पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के अलावा वित्त वर्ष 2013-14 में सरकार द्वारा सब्सिडी संबंधी कतिपय मुख्य नीतिगत निर्णय लिए गए। सरकार ने अल्प वसूली समाप्त करने के लिए धीरे-धीरे डीजल की कीमतें बढ़ाने और डीजल की कीमतें नियंत्रण मुक्त करने की नीति अपनाई। मुद्रास्फीतिकारी दबाव और अन्य वृहत-आर्थिक कारकों ने कीमतों में तेजी से सुधार करना कठिन बना दिया। तथापि, सरकार कीमतों में अंशशोधित सुधार की नीति जारी रखेगी। डीजल की कीमतों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में विदेशी मुद्रा का स्थिरीकरण और

अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता महत्वपूर्ण है। यह आशा की जाती है कि डीजल की लागू कीमत और बाजार कीमत को वित्त वर्ष 2014-15 के आरंभ तक समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद पेट्रोल और डीजल दोनों को नियंत्रण मुक्त किया जाएगा और इन्हें बाजार कीमतों के साथ सहबद्ध किया जाएगा, पीडीएस किरोसीन और एलपीजी सिलिंडर को इससे बाहर रखा जाएगा। खाद्य सिलिंडर के संबंध में अबतक 11 राज्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू किया है और धीरे-धीरे अन्य राज्य भी इनका अनुसरण करेंगे। एनएफएसए के तहत दो-तिहाई जनता प्रति व्यक्ति 5 कि.ग्रा. मोटे अनाज/गेहूं/चावल प्रति कि. ग्रा. 1/2/3 रुपए की दर से प्राप्त करने का हकदार है। एएवाई परिवारों को प्रति माह 35 कि.ग्रा. मिलता रहेगा। 2011-12 के दौरान 72,822 करोड़ रुपए खाद्य सिलिंडर के लिए जारी किए गए, जिसे 2012-13 में बढ़ाकर 85,000 करोड़ रुपए तथा 2013-14 में 92,318 करोड़ रुपए किया गया।

## कर नीति

11. राजकोषीय सुदृढीकरण की अवधि के दौरान कर-स.घ.उ. अनुपात उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से 2007-08 में 11.9 प्रतिशत हो गया। इसे कर ढांचा के यौक्तिकीकरण (कम स्तर और कम दरें), कराधार का विस्तार करके और कर प्रशासन में सुधार के जरिए अनुपालना लागत में कमी करके हासिल किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान को व्यापक रूप से अपनाने, व्यापारिक प्रक्रियाओं के पुनःसृजन ने भी कम अंतर्भेदी कर प्रणाली को बढ़ावा दिया और स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित किया। इन उपायों के परिणामस्वरूप 2007-08 तक कर राजस्व के उछाल में वृद्धि हुई और केवल राजकोषीय उपायों के जरिए राजकोषीय समेकन हासिल करने में सहायता मिली। 2008-09 और 2009-10 में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान अधिकांशतः कर पक्ष में किए गए प्रोत्साहन उपायों के कारण, जो कि वैश्विक आर्थिक संकट और घरेलू विकास में मन्दी के कुप्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए थे, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व 2009-10 में तेजी से गिरकर 9.7 प्रतिशत पर आ गया।

12. इसके अतिरिक्त उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण और उपभोक्ताओं को बचाने के उपाय के रूप में तथा अल्प वसूली कम करने के लिए सरकार को 2011-12 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कर-शुल्क कम करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर प्राप्तियां 2010-11 में 10.2 प्रतिशत के मुकाबले गिरकर 9.9 प्रतिशत रह गईं। प्रत्यक्ष करों में प्रेरणादायी उपाय आंशिक रूप से दोबारा करने और अतिरिक्त राजस्व उपाय करने से यह अनुमान लगाया गया था कि 2013-14 में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां सुधरकर 10.9 प्रतिशत हो जाएंगी। तथापि, वैश्विक अनिश्चितता और विनिमय दर की अस्थिरता तथा 2013-14 में विकास दर आशा से कम रहने के कारण अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार कर-स.घ.उ. अनुपात 10.0 प्रतिशत था। कर में उछाल गिरकर एक से नीचे आ गया है, इसका निहितार्थ

है कि कर संग्रहण स.घ.उ. में वृद्धि के साथ गति बनाए रखने में विफल रहा। यह प्रत्यक्ष कर संग्रहण की तुलना में अप्रत्यक्ष करों के मामले में और अधिक स्पष्ट है। सरकारी व्यय और संसाधनों के बीच अन्तर को कम करने की दृष्टि से राजकोषीय समेकन के पथ पर आगे बढ़ते हुए ब.अ. 2014-15 में कर-स.घ.उ. अनुपात का लक्ष्य 10.6 प्रतिशत रखा गया है और 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में विकास दर 19.8 प्रतिशत रखी गई है।

## अप्रत्यक्ष कर

13. वित्त वर्ष 2014-15 में आर्थिक क्रियाकलापों में उलटफेर होने की संभावना से निर्यात में विकास और औद्योगिक और विनिर्माण में बेहतरी तथा विकास दर की पुनर्बहाली की संभावना लक्ष्य हासिल करने की गुंजाइश प्रदान करती है। जबकि 2013-14 में निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में मामूली विकास के साथ धीमा रहा, यह संभावना है कि 2014-15 में विकास की पुनर्बहाली से स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत का बजटीय लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

14. मध्यम अवधि में, कराधान का विस्तार करके और बेहतर अनुपालना के जरिए राजस्व क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कदम है, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत करना। जहां तक केन्द्रीय करों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का प्रश्न है, काफी हद तक एकीकरण पहले ही हासिल किया जा चुका है, विशेषकर दो करों के बीच ऋणों के अन्तःप्रवाहों के माध्यम से। माल और सेवाओं के कराधान का पूर्ण एकीकरण हासिल करना केवल तब संभव होगा जब राज्य वैट को भी शामिल किया जाएगा और पूर्णरूपेण वस्तु और सेवा कर प्रारंभ किया जाएगा। हालिया वर्षों में वस्तु और सेवा कर शुरू करने की तैयारी के रूप में सेवा कर का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार सतत नीतिगत कदम उठाने जा रही है। कराधार बढ़ाने के लिए सेवाओं पर कराधान के लिए नकारात्मक सूची 1 जुलाई, 2012 से शुरू की गई है।

15. इसी दिशा में कर दायरे में स्टोप फाइलर्स और गैर-फाइलर्स को लाकर सेवा कराधार को और अधिक बढ़ाने के लिए बजट बनाने की कवायद 2013 में स्वैच्छिक अनुपालना प्रोत्साहन स्कीम का प्रस्ताव रखा गया था। यह स्कीम 10 मई, 2013 से लागू हुई। इस स्कीम के अन्तर्गत (i) ब्याज माफी और शास्ति; तथा (ii) अभियोजन से प्रतिरक्षा के रूप में एकबारगी राजक्षमा को विवरणी जमा करना बंद करने वालों, जमा न करने वालों या अपंजीकृत या सेवा प्रदाताओं, जिन्होंने अक्टूबर, 2007 से दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान अपने द्वारा दायर की गई विवरणियों में अपनी वास्तविक देनदारियां प्रकट नहीं की हैं, तक बढ़ायी जा सकती है, बशर्ते वे अपनी देय कर की घोषणा करें और इसका भुगतान करें। वीसीईएस स्कीम घोषणाकर्ताओं के लिए 31 दिसंबर, 2013 तक खुली हुई थी। 31 दिसंबर, 2013 तक 7,500 करोड़ रुपए के सेवा कर वाली लगभग 65,000 घोषणाएं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की भेजी गई विवरणियों द्वारा प्राप्त किए गए थे। वित्त वर्ष 2013-14 में वी.सी.ई.एस. के अन्तर्गत लगभग 4,000 करोड़ रुपए की भुगतान किया गया।

16. अप्रत्यक्ष करों पर कर प्रयासों को पुनः अंशांकित करने के लिए 2014-15 के बजट में अनेक विशिष्ट प्रस्ताव किए गए हैं ताकि अल्पावधि में राजकोषीय समेकन हासिल किया जा सके। महत्वपूर्ण और राजस्व विशिष्ट प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ◆ मूल सीमा शुल्क स्टेनलेस स्टील सपाट उत्पादों (सीटीएच 7219 और 7220) पर 5% से बढ़ाकर 7.5% किया जा रहा है।
- ◆ बाकसाइट पर निर्यात शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया जा रहा है।
- ◆ आधा कटा हुआ या टूटे हुए हीरे पर मूल सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया जा रहा है और कटे हुए और पोलिश किए हुए हीरे तथा रंगीन कीमती पत्थरों पर 2% से बढ़ाकर 2.5% किया जा रहा है।
- ◆ विशिष्टीकृत दूरसंचार के उत्पादों, जो सूचना प्रौद्योगिकी करार में शामिल नहीं किए गए हैं, पर मूल सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।
- ◆ शिक्षा उपकरण और उच्च तथा उच्चतर शिक्षा उपकरण आयतित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लगाया जा रहा है ताकि देश में उत्पादित वस्तुओं और आयातित वस्तुओं के बीच संगतता बनाई जा सके।
- ◆ विभिन्न प्रकार के कोयले पर शुल्क संरचना को 2.5% बीसीडी और 2% सीवीडी पर यौक्तिक बनाया जा रहा है। तदनुसार कोकिंग कोयला पर बीसीडी शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया जा रहा है और स्टीम कोयले और बिटूमिनस कोयले पर 2% से 2.5% किया जा रहा है। अन्ध्रासाइट, कोकिंग कोयले और अन्य कोयले पर सीवीडी घटाकर 6% से 2% किया जा रहा है।
- ◆ धात्विक कोयले पर मूल सीमा शुल्क शून्य से 2.5% किया जा रहा है।
- ◆ वाइंडिंग ताम्बे के तार पर उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ाकर 12% किया जा रहा है।
- ◆ पोलिस्टर स्टेपल फाइबर प्लास्टिक अपशिष्ट या स्क्रेप या अपशिष्ट पोलिथिन टेरैफथलेन बोतल सहित प्लास्टिक अपशिष्ट से विनिर्मित पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न पर उत्पाद शुल्क 2% (बिना सेनवैट) या 6% (सेनवैट सहित) की दर से लगाया जा रहा है।
- ◆ सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है और 65 मिलीमीटर से कम लम्बाई के सिगरेटों पर 72% और अन्य लम्बाई के सिगरेटों पर 11% से 21% किया जा रहा है।

◆ पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 12% से बढ़ाकर 16% किया जा रहा है, अविनिर्मित तम्बाकू पर 50% से 55% और जर्दा सुंगधित तम्बाकू, गुटखा और चबाने वाले तम्बाकू पर 60% से बढ़ाकर 70% किया जा रहा है।

◆ कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण की दर प्रतिटन 50 रुपए से बढ़ाकर प्रतिटन 100 रुपए की जा रही है।

◆ रिकार्डिड स्मार्ट कार्डों पर उत्पाद शुल्क 2% (बिना सेनवैट लाभ) / 6% (सेनवैट लाभ सहित) से एक दर 12% बढ़ाया जा रहा है।

◆ चीनीयुक्त वतित जल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 5% की दर से लगाया जा रहा है।

17. वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर नीति का अंतर्निहित विषय घरेलू विनिर्माण को तेज करना, कर कानूनों में स्पष्टता लाना, शुल्क दरों में स्थायित्व, करों को तर्कसंगत बनाना तथा विवादों को कम करना है।

#### प्रत्यक्ष कर

18. प्रत्यक्ष कर संबंधी सरकार की नीति संतुलित कर आधार की व्यवस्था को बनाए रखते हुए कर आधार को व्यापक बनाकर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि हासिल करना रही है। कर संग्रहण दो तत्त्वों- कर मूल्य तथा कर आधार का उत्पाद है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित आय के संदर्भ में व्यक्तिगत आयकर की दर, घरेलू तथा विदेशी के लिए कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अधिशुल्क की दर पिछले वर्ष के समान बनी रहेगी।

19. कर संग्रहण में वृद्धि हासिल करने के लिए कर आधार को व्यापक बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विधायी तथा प्रशासनिक दोनों उपाय शामिल होते हैं। कर आधार को व्यापक बनाने तथा राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट 2014-15 में रखे गए मुख्य नीतिगत प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :-

◆ यह प्रस्ताव है कि मूल्यहास के लिए समायोजन करने के बाद निवेश से जुड़ी कटौती को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) के दायरे में शामिल किया जाए।

◆ यह प्रस्ताव है कि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण के लिए बातचीत के दौरान विक्रेता द्वारा प्राप्त किसी अग्रिम राशि यदि अंतरण नहीं होता है तथा ऐसी राशि जब्त कर ली गई है, पर कर लगाया जाए।

◆ यह प्रस्ताव है कि शेयर धारकों को वास्तविक धनराशि भुगतान करने के स्थान पर लाभांश वितरण कर लगाया जाए।

- ◆ यह प्रस्ताव है कि यह व्यवस्था की जाए कि म्युचुअल फंड की इकाई (इक्विटी अभिमुखी विधि की इकाई के अलावा) अथवा असूचीबद्ध कंपनी के शेयर को लघु अवधि की पूंजीगत आस्ति समझा जाएगा यदि यह 12 महीनों के बजाय 36 महीनों तक की अवधि के लिए रखी जाती है।
  - ◆ यह प्रस्ताव है कि यह व्यवस्था की जाए कि म्युचुअल फंड की इकाई (इक्विटी अभिमुखी निधि की इकाई के अलावा) के अंतरण से होने वाले दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ पर सूचकांक के बिना 10 प्रतिशत के स्थान पर सूचकांक लाभ देने के बाद 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
  - ◆ जीवन बीमा की पालिसियों पर परिपक्वता राशि के भुगतान के समय 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती, जिनपर छूट नहीं है।
20. राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और प्रौद्योगिकीय पहलें निम्नलिखित हैं :-
- ◆ अनुचित तरीकों के बिना सूचना एकत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। सूचना के संपूर्ण संग्रह तथा डाटा बेस के रखरखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों को विकसित किया जा रहा है।
  - ◆ स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाने के लिए तथा अनुपालन हीनता को रोकने, सूचना के प्रभावी उपयोग हेतु व्यापक प्लेटफार्म विकसित करने के लिए डाटा भांडारागार तथा कारोबार आसूचना परियोजना प्रारंभ की गई है।
  - ◆ अधिक दक्षता बढ़ाने के लिए संसाधन गहन पुनरावृत्ति कार्य करने के लिए केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (अनुपालन प्रबंधन) स्थापित किया जाना प्रास्तावित है।

21. वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष करों में कर उछाल वित्त वर्ष 2012-13 में 1.07 से बढ़कर वित्त वर्ष 2013-14 में 1.16 हो गया है। यह दर्शाता है कि प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि स.घ.उ. में नाममात्र की वृद्धि से ज्यादा हो गयी है। व्यक्तिगत आयकर ने कारपोरेट आयकर की तुलना में ज्यादा वृद्धि दर्शायी है। व्यक्तिगत आयकर 20.51 प्रतिशत बढ़ा है जबकि कारपोरेट आयकर में 10.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि, वित्त वर्ष 2013-14 में प्रतिशत के संदर्भ में कारपोरेट आयकर में वृद्धि हुई है, परंतु उछाल एक से कम रही है। कारपोरेट आयकर में एक से कम की उछाल का कारण यह है कि कारोबार और व्यापार की लाभप्रदता नाममात्र की स.घ.उ. वृद्धि दर में मुद्रास्फीति के उच्च घटक के कारण समाप्त हो गयी है। मुद्रास्फीति के ये कारक पारिश्रमिकों को प्रभावित नहीं करते जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर संग्रहण में अंशदान देते हैं।

## आकस्मिक और अन्य देयताएं

22. भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, केन्द्र सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति के आधार पर लिये गए उधारों की अदायगी की गारंटी देती है। एफआरबीएम अधिनियम केन्द्र सरकार को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह प्रत्याभूति के रूप में आकस्मिक देयताओं का पूर्वानुमान करते हुए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करे। तदनुसार, एफआरबीएम नियमावली वर्धनात्मक गारंटियों के लिए सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक सीमित करती है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष में मानकर चल सकती है। केन्द्र सरकार मुख्य रूप से उन परियोजनाओं और क्रियाकलापों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रत्याभूति देती है जो महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभों के साथ सरकारी निकायों द्वारा पूरा किए जाते हैं और इसका उद्देश्य उधारी पर आने वाले खर्च को कम करना है तथा उन मामलों की आवश्यकताओं को पूरा करना है जिनमें द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के लिए कि सम्प्रभु द्वारा प्रत्याभूति दी जाने की पूर्व शर्त होती है। चूंकि वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, स्वायत्तशासी संगठनों और प्रधिकरणों को अलग-अलग विधिक निकाय माना जाता है, अतः वे अपने ऋणों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अपने वित्तीय दायित्वों का पूरा करने की दिशा में प्रत्याभूति देने की प्रक्रिया में सरकार को अपने इन दायित्वों को आकलन करना चाहिए और उसे पर्याप्त रूप से जाहिर भी करना चाहिए। सरकार इसको इसलिए जाहिर कर रही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्णय के अनुसार ऐसा करना वैधानिक रूप से आवश्यक है।

23. आकस्मिक देयताओं के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार की प्रत्याभूति नीति में ऐसे कई सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिनका सम्प्रभु की प्रत्याभूति के रूप में नई आकस्मिक देयताओं को पूरा करके अनुपालन किया जाना जरूरी है। चूंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति के मामले में यह जोखिम रहता है कि कहीं सरकार को ही भुगतान न करना पड़ जाए, ऐसे प्रस्तावों की इस तरह से जांच-परख की जाती है ऋण सीधे सरकार द्वारा ही लिया जा रहा हो। इन आकस्मिक देयताओं को स्वीकार करते समय सम्प्रभु के जोखिम को कम से कम करने के लिए इस नीति में घोषित सिद्धांतों के द्वारा एक संरचनात्मक व्यवस्था की गई है। इन सिद्धांतों में शामिल हैं-जोखिम का आकलन जिसमें भावी भुगतान की संभावना भी शामिल है, क्रियाकलाप की प्राथमिकता, चुनिंदा क्षेत्रों के मामले में जोखिम को सीमित करने के लिए प्रत्याभूति की संस्थागत सीमा, चुनिंदा क्षेत्रों के मामले में जोखिम को कम करने के लिए प्रत्याभूति की आवश्यकता की समीक्षा करना और प्रत्याभूति के साथ-साथ अन्य बजटीय समर्थन या सहयोग की आवश्यकता की समीक्षा करना। संभावित जोखिम की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए जो अन्य अतिरिक्त

उपाय किए गए हैं उनमें शामिल हैं-जान-बूझकर चूक करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम वसूलना, सरकार द्वारा जोखिम में अन्य भागीदारी, और प्रत्याभूति ऋण लागत को सरकार की प्रतिभूति दर के नजदीक लाने पर जोर देना।

24. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं के स्टॉक का मूल्य वर्ष 2004-05 में एफआरबीएम अधिनियम की व्यवस्था के आरंभ से ₹1,07,957 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के अंत में ₹233769 करोड़ हो गया। किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा परिकल्पित गारन्टी का एफआरबीएम अधिकतम सीमा के कारण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में आकस्मिक देनदारी में कमी आई है। वर्ष 2004-05 में जो अनुपात 3.3 प्रतिशत था वह अब 2012-13 में कम होकर 2.3 प्रतिशत हो गया है। एफआरबीएम नियमावली, 2004 में निर्धारित किए अनुसार पिछली बकाया गारन्टी के खुलासे का विवरण प्राप्ति बजट के अनुबंध 5 (iii) पर दिया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान, गारन्टी के स्टॉक में हुई कुल बढ़ोत्तरी ₹36938 करोड़ थी जो सकल घरेलू उत्पाद की 0.37 प्रतिशत के बराबर है, जो एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत निर्धारित 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

25. सरकार कई अवसंरचनात्मक विकास गतिविधियों के संबंध में वार्षिक परियोजनाओं को आरंभ करके इन गतिविधियों के वित्तपोषण का दायित्व भी ले रही है। इन परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की गई प्रतिबद्धता भविष्य में आने वाली सरकारों द्वारा वित्तपोषित की जाएगी और इसलिए इन्टरनेशनल इक्विटी हेतु इन दायित्वों को लेने में पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है। संशोधित एफआरबीएम नियमावली के भाग के रूप में सरकार वार्षिक परियोजनाओं के अंतर्गत वार्षिक रूप से देय राशि तथा परियोजना लागत सहित ऐसी परियोजनाओं के प्रति उसके दायित्वों की प्रतिबद्धता का खुलासा करती है। मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत मौजूदा वार्षिक परियोजनाओं के लिए की गई प्रतिबद्धताओं का प्राप्ति बजट के अनुबंध-8 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार खुलासा किया जाता है। सरकार द्वारा वार्षिक परियोजनाओं के लिए की गई संविदाओं का कुल प्रतिबद्धता मूल्य ₹101146.69 करोड़ है। जिसमें वार्षिक भुगतान की राशि ₹6,525.65 करोड़ है।

### सरकारी उधार, ऋण तथा निवेश

26. सरकारी कर्ज की मौजूदा स्थिति के संबंध में वार्षिक रूप से एक दस्तावेज प्रकाशित किया जाता है ताकि सार्वजनिक कर्ज से संबंधित सूचना के प्रसार में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इस दस्तावेज का तृतीय संस्करण जुलाई-2013 में प्रकाशित किया गया था। अच्छी आर्थिक नीति का मुख्य पहलू कर्ज का समझदारीपूर्वक प्रबंधन है तथा संसार के अन्य हिस्सों से प्राप्त अनुभव दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय उद्घापोह में कर्ज की स्थिति की उभरते वैश्विक परिदृश्य

में करीब से मॉनीटरिंग की जानी अपेक्षित है। भारत में, ऋण नीति का मुख्य सिद्धान्त सार्वजनिक ऋण में धीरे-धीरे कमी लाना है ताकि ऋण जोखिम को कम किया जा सके और विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश का सृजन किया जा सके। भारत की ऋण स्थिति का अहम पहलू घरेलू बाजार उधारों पर निर्भर करता है जो कि बाजार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर होता है न कि प्रशासित दर के आधार पर। इस संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक गहरा तथा व्यापक द्वितीयक बाजार बनाना एक मुख्य सुधारात्मक उपाय है। वित्त मंत्रालय का अन्य महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय (डीएमओ) की स्थापना करना है। यद्यपि सरकार आवश्यक विधान लाने की प्रक्रिया में है, इस दौरान मध्यवर्ती कार्यालय की स्थापना की गई है। यह कार्यालय उधार हेतु कलेंडर के निर्गम में सरकार की सहायता कर रहा है और लिखतों के चयन और अन्य संबंधित मामलों पर सलाह देता है।

27. देश के ऋण की रूपरेखा की एक मुख्य विशेषता कुल उधारों के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण का गिरता अनुपात है। विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधार चुनिंदा विकास भागीदारों से लिए गए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋणों तक सीमित है। उनके जोखिम संबंधी मानदण्डों और आय संबंधी मानदण्डों को देखते हुए इसमें गिरावट हो रही है, पर आज की तारीख में एक मात्र द्विपक्षीय भागीदार जापान है। विदेशी वित्तपोषण 2013-14 के बजट अनुमान के ₹10,560 करोड़ से काफी हद तक गिरकर 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹5440 करोड़ रह गया है क्योंकि बहुत सी योजनाएं आरंभिक चरण में हैं और उनका भुगतान नहीं किया जा सका, जबकि अदायगियां कार्यक्रम के अनुसार थीं, जिसके परिणामस्वरूप निवल वित्तपोषण में गिरावट हुई। इसलिए विदेशी ऋण के लिए 2014-15 के बजट अनुमान ₹5734 करोड़ के स्तर पर रखे गए हैं। आगामी वर्षों में बहुपक्षीय संस्थाओं से होने वाले निवल अंतःप्रवाहों में क्रमिक गिरावट के चलते सरकार के पास विदेशी ऋण के अन्य स्रोतों के खोज करने का विकल्प होगा, उदाहरण के लिए सावरेन बॉण्ड का निर्गमन, ताकि इसके पोर्टफोलियो में घरेलू और विदेशी ऋण का एक उचित मिला-जुला रूप बनाए रखा जा सके। तथापि, कुल ऋण में विदेशी ऋण का अपेक्षाकृत कम हिस्सा ऋण पोर्टफोलियो को वैदेशिक क्षेत्र के आघातों से और मुद्रा संबंधी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। अभी हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में कम ब्याज दरें यह इंगित करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार से उधार लेना लाभप्रद हो सकता है। तथापि, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित सावरेन बॉण्डों को जारी करने का निर्णय केवल सापेक्ष लागत पर आधारित नहीं हो सकता। अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में पहुंच बनाने की आवश्यकता का औचित्य अर्थव्यवस्था की समग्र बचत और निवेश संबंधी जरूरतों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

इसलिए सावरेन बॉण्ड जारी करने के निर्णय के लिए, भुगतान शेष के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निर्गमन की एक नियमित और निश्चित अनुसूची बनाने की जरूरत होगी जिससे ब्याज और मोचन भुगतान सृजित किए जा सकें।

28. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए नकदीपूर्ण और गतिशील द्वितीयक बाजार विकसित करना और निवेशक आधार को व्यापक बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कारक हैं कि ऋण किफायती तरीके से जुटाया जाए। बाजार के विकास के लिए की गई पहलें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय करके की जाती हैं। सरकार की प्राथमिक निर्गमन कार्य नीति बेंचमार्क परिपक्वताओं के अंतर्गत नई प्रतिभूतियां जारी करने पर और मौजूदा प्रतिभूतियों के तहत मात्रा बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि द्वितीयक बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार हो। 2013-14 के दौरान, 6 नई प्रतिभूतियां जारी की गईं जिसमें मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान कुल निर्गमन का 3.9 प्रतिशत था। इसका अर्थ है कि 96 प्रतिशत से अधिक निर्गमन पुनर्निर्गम के रूप में थे। निवेशक आधार को व्यापक बनाना सरकारी प्रतिभूतियों की मांग की स्थिरता में एक और महत्वपूर्ण कारक है। सरकार ने बाजार विकास और मूल्य अन्वेषण के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के आरंभ में संस्थागत श्रेणी के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड शुरू किए।

29. बाजार उधारों को अधिक महत्व देने के अलावा, सरकार प्रशासित ब्याज दरों को बाजार दरों के अनुरूप बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। लघु बचतों पर दी जाने वाली ब्याज दरें अब दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में उपलब्ध आय से संबद्ध की जा रही हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरें 1 अप्रैल से पूर्व अधिसूचित की जाती हैं। विभिन्न लघु बचतों के अन्तर्गत संग्रह, वित्त वर्ष के दौरान नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) के लिए निधियों के स्रोत से निवल निकासी राशि है। निवल संग्रह को केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में जुलाई 2010 में गठित लघु बचतों संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसार निवेशित किया जाता है। इन प्रतिभूतियों की उन्मोचन राशि को केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में प्रचलित ब्याज दरों पर 50:50 में पुनः निवेशित किया जाता है। संबंधित एफआरबीएम अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्यों की अनुपालना के आधार पर राज्य को अधिक ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अंशदाताओं को ब्याज भुगतान और प्रबंधन लागत निधि के अंतर्गत व्यय और केन्द्र तथा राज्य सरकार प्रतिभूतियों पर ब्याज निधि के अन्तर्गत आय होती है।

30. 2013-14, में ₹4,68,902 करोड़ के निवल बाजार उधार से सकल राजकोषीय घाटे के 92 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया। वित्तपोषण के अन्य साधन यथा विदेशी सहायता, राज्य भविष्य निधियां तथा लघु बचत (एनएसएसएफ) जीएफडी के शेष 8 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था अनुमानित थी। 2013-14 के दौरान लघु

बचत खाते में निवल अन्तर्वाह था। सरकार के ऋण पोर्टफोलियों में रॉलओवर जोखिम लगभग 10 वर्षों की बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता के साथ निरंतर कम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2013-14 में बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में अल्पावधिक ऋण का हिस्सा मात्र 4.0% था और अगले 5 वर्षों में ऋण परिपक्वता कुल ऋण की 30% से कम थी, जिससे कम स्तर रॉलओवर जोखिम दर्शाता है। कम रॉलओवर जोखिम के बावजूद, सरकार अपने ऋण पोर्टफोलियों के परिपक्वता प्रोफाइल को लंबा करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रख रही है। 2013-14 के दौरान, निर्गमनों के प्राथमिक निर्गमन की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की 13.5 वर्ष से बढ़कर 14.28 वर्ष हो गई थी। उल्लेखनीय है कि भारित औसत परिपक्वता में बढ़ोतरी उधारी लागतों में बिना पर्याप्त बढ़ोतरी के हासिल हुई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राथमिक निर्गमन के भारित औसत उपार्जन पिछले वर्ष के 8.36% से थोड़े बढ़कर 8.48% हो गए जिसे वैश्विक कारकों और इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति सशक्त करने की परिणति के रूप में देखा जा सकता है। उधारी लागत में पर्याप्त वृद्धि के बिना प्राथमिक निर्गमनों की बढ़ी हुई परिपक्वता से बीमा कम्पनियों और भविष्य निधियों द्वारा दीर्घावधिक प्रतिभूतियों के लिए और अधिक मांग को प्रतिबिंबित करती है इससे मध्यावधि में अपनी परिपक्वता प्रोफाइल को लंबा करने के सरकार के प्रयासों को समर्थन मिलेगा।

31. राजकोषीय सुदृढीकरण संबंधी उपायों को जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में, वर्ष 2014-15 के लिए राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी का 4.1% रहने का अनुमान है। 2014-15 के लिए कुल उधार आवश्यकता का अनुमान ₹6,00,000 करोड़ यानि सघउ का 4.7 प्रतिशत लगाया गया है। राजकोषीय घाटे के लगभग 86.8 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए ₹4,61,205 करोड़ के निवल बाजार उधारों की बजट व्यवस्था की गई है। संकेतिक संदर्भों में, पिछले वर्ष के मुकाबले 1.7 प्रतिशत तक निवल उधार कम होगा। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत से तुलना करने पर इनके बजट में घटकर 3.6 प्रतिशत तक रहने की व्यवस्था है। वित्तपोषण के अन्य संसाधनों के अंतर्गत उधारों की बजट व्यवस्था 2014-15 के दौरान 13.2 प्रतिशत की गई है। ऋण वित्तपोषण की दृष्टि से 2014-15 में उधारी की यही रणनीति चालू रहेगी और हम घरेलू संसाधनों पर निर्भर रहेंगे तथा बाहरी संसाधनों से केवल 1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की पूर्ति की जाएगी। घरेलू संसाधनों से ₹5,31,177 करोड़ के जीएफडी के लगभग 99% का वित्तपोषण किया जायेगा। उधारी की रणनीति में इस बात पर ध्यान दिया जाता रहेगा कि बाजारपरक उपायों से संसाधन जुटाये जाए जिससे कि सरकार की उधारी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

32. दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए जाने वाले प्रस्तावित ₹4,61,205 करोड़ के अलावा, राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से वसूल किए जाने के लिए ₹34,553 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। नकदी प्रबंध के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने के अलावा राजकोषीय हुंडियों में बेंचमार्क की भी व्यवस्था है और इसलिए मुद्रा बाजार में व्यापार कार्यकलाप की गति पकड़ने में वित्तीय एवं कारपोरेट सेक्टर को अपनी अल्पावधिक नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होगी। इसके अलावा, लघु बचतों, राज्य भविष्य निधि और लोक खाते से अन्य प्राप्तियों से घाटे के शेष भाग का वित्तपोषण होगा। बाजार स्थिरता स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर कोई शेष अनुमानित नहीं है। तथापि, इस स्कीम में निवल वृद्धि 2014-15 के बजट अनुमान में ₹20,000 करोड़ अनुमानित है।

33. आगामी वर्षों में विशेषकर 2015-16 से 2017-18 के दौरान, उन्मोचन के दबाव के दृष्टिगत रिजर्व बैंक के साथ समन्वयन करके सरकार ने 2013-14 के दौरान अपने ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने हेतु एक सक्रिय ऋण प्रबंधन कार्यनीति बनाई है। 2013-14 के दौरान, सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों के निष्क्रिय समेकन की नीति अपनाई है। 2014-15 में अल्पावधिक उन्मोचन दबाव को कम करने के लिए संस्थागत निवेशकों के साथ दिनांकित प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों) में स्वीच आपरेशन किया था। तदनुसार, 2014-15 और 2015-16 में प्रतिभूति ₹31,000 करोड़ की अंकित मूल्य हेतु परिपक्वता बकेट्स को जनवरी और फरवरी 2014 के दौरान, संस्थागत निवेशकों के साथ अपेक्षाकृत लम्बी वर्तमान प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दिया गया। मार्च, 2014 में ₹15,590 करोड़ की प्रतिभूतियों को वापस ले लिया गया है। सक्रिय ऋण प्रबंधन कार्यनीति को आगे जारी रखते हुए 2014-15 के दौरान, अल्पावधिक प्रवृत्ति के प्रतिभूतियों और ₹ 50,000 करोड़ वापसी खरीद/अंतरण कार्य का प्रस्ताव रखा जाता है। ऋण की वापसी खरीद कारगर नकदी प्रबंधन और परिपक्वता प्रोफाइल को सरल बनाने के दो प्रयोजनों को पूरा करती है। यह संभावना है कि स्विचिंग/वापसी खरीद आगामी वित्त वर्ष के आरंभिक भाग में उन्मोचन दबाव को सुखद बनाएगी। इससे बढ़कर, अगले तीन वित्त वर्षों में उन्मोचन दबाव बढ़ने के चलते नकदी प्रबंध के साथ मिलकर सक्रिय ऋण प्रबंधन इष्टतम लागतों से उन्मोचन नियंत्रण में लाने में सहायता करेगा।

### सरकारी व्यय प्रबंध में की गई पहलें

#### राज्य/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष निर्मुक्तियां

34. सभी योजना स्कीमों का जिनके अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुहैया कराई जाती है, वर्गीकरण और बजट निर्धारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2014-15 के बजट अनुमान से केंद्रीय सहायता के रूप में किया

जाना है। ऐसी सभी योजनाओं के लिए निधियों को प्रशासनिक मंत्रालयों के पास रखा जाएगा ताकि उन्हें संबंधित राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की समेकित निधियों के जरिए राज्यों को अंतरित किया जा सके। इस तरीके का अंतरण 2014-15 (बजट अनुमान) में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा सकता है। राज्य कोष के जरिए धन के निर्गमन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को योजना स्कीमों का और अधिक स्वामित्व तथा स्थानीय कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए सामयिक एवं जरूरत आधारित निर्गमन करने के लिए उन्हें और अधिक जवाबदेही मिलेगी एवं योजनाओं का कार्यान्वयन और अधिक सूक्ष्मता से अनुवीक्षण किया जा सकेगा।

### आयोजना स्कीमों की पुनर्संरचना

35. योजना स्कीमों की प्रभावकारिता में सुधार करने की मुख्य पहलकदमी में योजना आयोग ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनःसंरचना और सरकारी कोष के जरिए प्रत्यक्ष निर्गमन को लागू किया। सुप्रवाहीकरण के भाग के रूप में 126 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों की पुनःसंरचना 66 स्कीमों में की गई है जिनमें 17 फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल हैं। अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 से प्रभावित होनी वाली योजनाओं की पुनःसंरचना से संसाधनों का असरदार उपयोग होने में और वृद्धि हो जाएगी क्योंकि योजना आवंटन और अधिक संकेंद्रित हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और अधिक ध्यान के केंद्र में आ जाएगा। एक दूसरी प्रधान पहलकदमी में सरकार ने नम्य निधियों वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं के परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत उद्दिष्ट करने का निर्णय किया। संबंधित केंद्रीय मंत्रालय प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अपने योजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत नम्य निधियों के रूप में रखेगा। इसमें विधान (मनरेगा) से उत्पन्न योजनाएं या ऐसी योजनाएं जहां बजटीय आवंटन की पूरी राशि अथवा उसका पर्याप्त भाग नम्य (आरकेवीवाई) हो, शामिल नहीं हैं।

### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

36. लाभार्थियों तक वास्तविक रूप से पहुंचने, अपव्यय घटाने, द्विश्रुति और निःसरण रोकने और निधियों के संवितरण तथा सरकारी धन के उपयोग में प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए अक्टूबर, 2012 में यह निर्णय लिया गया कि सरकार से अलग-अलग प्रकार के लाभों को लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, 1 जनवरी, 2013 से 8 मंत्रालयों की 25 चुनिंदा स्कीमों में 43 चिह्नित जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की योजना लागू की गई। वर्ष 2013 के अंत तक डीबीटी के अंतर्गत 121 जिलों में लगभग 97 लाख लाभार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे। इस उपाय से सूचना और निधियों के सहज-सरल तथा शीघ्र प्रभाव हेतु सरकारी योजनाओं

को नया रूप देने की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। सब्सिडी प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से एलपीजी सब्सिडी में डीबीटी (डीबीटीएल) की शुरुआत 1.6.2013 से 20 जिलों में की गई और इसके बाद 6 चरणों में (1.1.2014 तक) में शुरुआत की गई। इसने देश में भर में 291 जिलों को कवर किया है। आधार की अधिक पैठ वाले जिलों को चयन में अधिक तरजीह दी जाती है। 291 जिलों में एक बार डीबीटी-एलपीजी योजना पूरी तरह लागू कर दिए जाने पर यह 7 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को कवर करेगी जिससे यह विश्व भर में सबसे बड़ा नकद अंतरण कार्यक्रमों में से एक बन जाएगा।

### व्यय प्रबंध आयोग :

37. हालांकि, सरकार ने राजकोषीय समेकन चरण में योक्तिकीकरण के जरिए व्यय नियंत्रित करने का प्रबंध किया है परन्तु व्यय की गुणवत्ता ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जिसका समाधान किए जाने की जरूरत है। चालू राजकोषीय समेकन राजकोषीय घाटा काबू में रखने में सफल रहा है लेकिन राजस्व पक्ष पर सरकारी वित्त में अभी भी असंतुलन है। जैसी कि पूर्ववर्ती भागों में चर्चा की गई है, नई एफआरबीएम व्यवस्था में राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिए आयोजना-भिन्न व्यय धारणीय स्तरों के भीतर नियंत्रित रखने के लिए आयोजना खर्च में संरचनात्मक परिवर्तन और स्पष्ट उपाय आवश्यक हैं। इससे भी बढ़कर, मध्यावधि में सातवें वेतन आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट लोक वित्त के लिए बड़ा अधोगामी जोखिम प्रस्तुत करेंगे। अतः वक्त आ गया है कि सरकार उन जगहों की जांच करे जहां धन खर्च होता है और उससे क्या प्राप्त होता है। सरकार व्यय प्रबंध आयोग का गठन करेगी जो सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा।

### रेल बजट

38. रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आय और व्यय तथा अन्य सभी मुख्य वित्तीय आंकड़े सामान्य बजट में शामिल किए जाते हैं, रेलवे को सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में सरकारी सहायता दी जाती है और इस निवेश पर प्रतिफल जिसे लाभांश कहा जाता है, की अदायगी प्रत्येक वर्ष की जाती है। इस लाभांश की दर रेलवे अभिसमय समिति द्वारा तय की जाती है और इस समय यह दर 5 प्रतिशत है। पिछले 10 वर्षों में लाभांश के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है। रेल राजस्व मुख्यतः दो मुख्य यातायात धाराओं नामतः यात्री और मालभाड़ा के जरिए अर्जित किया जाता है। कुछ अर्जन पार्सलों, भूमि के वाणिज्यिक उपयोग, साइडिंग प्रभार, विज्ञापन और रेलवे के पीएसयू द्वारा अदा किए गए भुगतान के जरिए भी किया जाता है। इन अर्जनों का उपयोग प्रचालन व्यय जिन्हें 'सामान्य कार्यचालन व्यय (ओडब्ल्यूई)' और पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए किया जाता है। शेष

अधिशेष का उपयोग लाभांश की अदायगी के लिए किया जाता है और इसके बाद बचा शेष रेल प्रणाली की सुरक्षा और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोजना निवेश के रूप में वापस लगा दिया जाता है।

39. पिछले दशक में रेलवे के वित्त साधनों में इतना सुधार हुआ की इसने 2007-08 में 75.9 प्रतिशत का प्रचालन अनुपात हासिल कर लिया। यह मुख्यतः रेलवे यातायात में प्रतिबिंबित होती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा रेल व्यय की औसत वृद्धि के कारण थी। लेकिन 2007-08 के बाद छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ओडब्ल्यूई और पेंशन भुगतान में भारी उछाल आया जबकि पहले अर्जनों में देखी गई वृद्धि की रफ्तार नहीं बनाई रखी जा सकी। परिणामतः प्रचालन अनुपात गिरकर 95 प्रतिशत तक आ गया। रेलवे आयोजना रेल प्रारक्षित निधियों से आहरण द्वारा कमी करके संपोषित की जानी पड़ी। वस्तुतः 2010-11 और 2011-12 के दौरान रेलवे प्रारक्षित निधियां ऋणात्मक होकर ₹2100 करोड़ रुपए और ₹385 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गईं। रेलवे निधियों में ऋणात्मक शेष को पाटने के लिए 2011-12 में सामान्य राजस्व ने ₹3000 करोड़ का ऋण दिया।

40. किराए और मालभाड़ा टैरिफ को युक्तिसंगत बनाकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अलावा अनेक उपाय करने से रेलवे की वित्तीय स्थिति में अनुवर्ती वर्षों में सुधार के संकेत दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ₹3000 करोड़ का समस्त ऋण ब्याज सहित 2012-13 में सामान्य राजस्व को लौटा भी दिया गया है। ₹140450 करोड़ के स्तर पर रेलवे के राजस्व अर्जन द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के संशोधित अनुमान में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है, जबकि ओडब्ल्यूई और पेंशन व्यय ₹ 120760 करोड़ के स्तर पर 15.3 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। आंतरिक संसाधन सृजन 2012-13 के ₹15144 करोड़ के मुकाबले 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹14,496 करोड़ रहने की संभावना है। सं.अ. 2013-14 में प्रचालन अनुपात 90.8 प्रतिशत के स्तर पर रहने की संभावना है।

41. रेलवे में आयोजना निवेश जीबीएस, आंतरिक संसाधन और बजट-बाह्य संसाधनों (ईबीआर) से वित्तपोषित किया जाता है। यद्यपि आयोजना आवश्यकताओं का 23 प्रतिशत रेलवे के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना अनुमानित है, यह बहुत हद तक सरकार से बजट सहायता पर निर्भर रहता है। रेलवे की बारहवीं पंचवर्षीय योजना ₹5.19 लाख करोड़ की अनुमोदित की गई है जिसमें जीबीएस के जरिए ₹1.94 लाख करोड़, ₹1.05 लाख करोड़ के आंतरिक संसाधन और ₹ 2.20 लाख करोड़ के ईबीआर के निवेश का लक्ष्य है। 2013-14 के संशोधित अनुमान के ₹59,359 करोड़ के निवेश के मुकाबले 2014-15 के बजट अनुमान में ₹65,445 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और

2012-13 के वास्तविक आंकड़े ₹50,383 करोड़ है। आयोजना संसाधनों को यथोचित रूप से निवेश करने का लक्ष्य है और प्रचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बारहवीं योजना के दौरान निश्चित वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। इससे रेलवे को न सिर्फ अवसंरचनागत अडचनें हटाने में मदद मिलेगी बल्कि इस प्रणाली की राजस्व अर्जक क्षमता में भी बढ़ोत्तरी होगी। साधारण कार्यात्मक व्यय को भी यौक्तिक बनाने और राजकोषीय समेकन के प्रयास करने की आवश्यकता है। यह अत्यावश्यक है कि पूंजी व्यय में बढ़ोत्तरी का वित्त पोषण अधिकाधिक संसाधन जुटाकर किया जाए, इसमें सरकारी निजी भागीदारी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल हैं।

### ग. नीतिगत मूल्यांकन

42. आम बजट 2014-15 राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया बहाल रखने की सरकार की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतरिम बजट में लक्षित राजकोषीय घाटा लक्ष्यों के मुख्य बजट में भी अपनाया जाएगा। सरकार ने अपने व्यय की प्राथमिकताएं नए सिरे से निर्धारित की हैं और सामाजिक तथा कल्याणकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संगत विकास के अनुरूप नीति के लिए अतिरिक्त आबंटन भी किए हैं। मामूली वैश्विक सुधार के अपवाद स्वरूप, विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वसूली, हालिया महीनों में देखे गए सुधार पर भावों और अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा मूल्यों में व्यापक परिणामों के अभाव में अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों में विद्यमान 5 प्रतिशत स्तर के बाद ही वृद्धि दर बहाली की आशा कर सकती है।

43. राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को अपनाने से मध्यम आवधिक परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय नीतियों के लिए निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित करने होंगे। इसके लिए 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान राजकोषीय संकुचन की गुंजाइश निकलना जरूरी हो गया है। विकास दर को मंद करते हुए सरकारी राजस्व लगातार दबाव में रहा है और परिणामतः व्यय प्रबन्धन के रूप में राजकोषीय समेकन अनिवार्य हो गया है। तथापि, अधिक संसाधन जुटाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में करों को प्रगामी रूप से बढ़ाए जाने की महती आवश्यकता है। आगे चलकर इससे भविष्य में अप्रत्यक्ष करों में प्रशुल्क संरचना और प्रत्यक्ष करों में कराधार को ज्यादा व्यापक और विशद बनाने की दृष्टि से कर संरचना को व्यापक तौर पर समीक्षित किए जाने की जरूरत होगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की चुनौतियां, जोकि आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति होते हुए भी गरीबों के विकास में सहायक हैं, से जुझने के लिए व्यय प्रबन्धन को बेहतर तरीके से सुमेलित किया जाना जरूरी है।

44. राजकोषीय समेकन का दूसरा अहम पहलू पूंजीगत व्यय है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय का अनुपात जो

2002-04 में 23.2 प्रतिशत था घटकर 2012-13 में 12 प्रतिशत रह गया है। सरकार के राजस्व-व्यय में व्याप्त असन्तुलन पिछले विवरणों में यथा-व्याख्यापित सरकारी खर्च के वर्गीकरण की समस्याओं को दर्शाता है। संघीय ढांचे में केन्द्रीय सरकार के ज्यादातर खर्च अवसंरचनागत क्रियान्वयनों या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ही होता है जिससे प्राप्त होने वाले राजस्व लाभ राज्य सरकारों को ही मिलते हैं। इसके फलस्वरूप अधिकांशतः व्यय, जोकि सीधे तौर पर पूंजीगत प्रकृति का है, ही राजस्व के रूप में वर्गीकृत है। चूंकि यह एक लेखागत समस्या है और सरकारी खर्च की प्रकृति का कोई भी विश्लेषण उक्त वर्गीकरण पर ही आधारित होता है। अतः वह अपर्याप्त समझ के लिए बाध्य होता है। प्रभावी राजस्व घाटे (ईआरडी) की अवधारणा, जोकि सरकारी खर्च के घटक में राजस्व घाटे से अलग करती है और कालान्तर में जो पूंजीगत आस्तियों के सृजन का कारण बनती है, को लागू करने के लिए 2012 में एफआरबीएम अधिनियम संशोधित किया गया था। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में आरडी को दो प्रतिशत तक घटाते हुए 31 मार्च 2015 तक ईआरडी को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।

45. वित्त वर्ष 2012-13 में सरकार द्वारा अपनाए गए राजकोषीय समेकन का खाका संशोधित एफआरबीएम नियमावली, 2012 में यथा निहित राजकोषीय घाटा लक्ष्यों के अनुरूप है। सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कृतसंकल्प है। आम बजट 2014-15 में राजकोषीय घाटा सम्बन्धी इन दिशा-निर्देशों को पाने की दिशा में प्रयास जारी है और अगले दो वित्त वर्ष में 3 प्रतिशत का उद्देश्य प्राप्त करने का अनुमान है। इस प्रकार राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में राजकोषीय समेकन का काम करीब-करीब आधा पूरा किया जा चुका है। तथापि, राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे पर निष्पादित परिणाम एफआरबीएम अधिनियम में यथा संशोधित और यथा निहित लक्ष्यों से मेल नहीं खा रहा है। ऐसा मुख्य रूप से अस्थिर व संवेदनशील वैश्विक आर्थिक स्थितियों और घरेलू क्षेत्र में व्याप्त उच्चतर मुद्रास्फीति के कारण हुआ है जिसने सब्सिडी प्रदान करने और अन्य कल्याणपरक उपायों वाले सरकार के युक्तिकौशल को बेअसर बना दिया है। संवेदनशील समूहों को मूल्यवृद्धि से सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। कल्याणकारी राज्य की सामाजिक वचनबद्धताओं को एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता। इससे जाहिर होता है कि यद्यपि सरकार अपने समग्र व्यय को सीमित करने, यथानिर्दिष्ट लक्ष्यों तक अपने ऋणों को सीमित करने में सफल रही है फिर भी व्यय के राजस्व और पूंजीगत मिश्रण को एफआरबीएम अधिनियम में यथा निहित लक्ष्यों के साथ मिलाते हुए सुधारे जाने की जरूरत है। उम्मीद है कि विकास की बहाली और बाहरी आर्थिक स्थितियों के स्थिरीकरण से आने वाले वर्षों में सरकार को राजस्व पक्ष में सन्तुलन और सुधार की पर्याप्त गुंजाइश मिलेगी।